

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141-5114117, E-mail : jdagr_wuc@rediffmail.com


क्रमांक एफ 8()/आ.कृ./जउप्र/पीएमकेएसवाई/फा.पौ./2017-18 /2199- दिनांक : 18.05.2017
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 2365
जिला परिषद, समस्त.....

विषय:- वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत समसंख्यक पत्रावली पत्रांक 1409-1627 दिनांक 17.05.2017 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम के जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला द्वारा चाही गयी जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:-


1. फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम के दिशा-निर्देश के मुख्य प्रभावी बिन्दुओं में बिन्दू संख्या 4 में सिंचित कृषि योग्य भूमि के स्थान पर कृषि योग्य भूमि पढ़ा जावे है।
2. जियोटेगिंग:- जियोटेगिंग प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु मोबाइल पर My GPS Coordinates App. डाउनलोड किया जावे। अनुदान हेतु पात्र एवं चयनित कृषक के निर्धारित स्थल पर उपरोक्त App. के माध्यम से Latitude व Longitude नोट किये जाकर जिला स्तर/उप खण्ड कार्यालय स्तर पर रिकॉर्ड में संधारित किया जावे।
3. अनुदान सीमा:- भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA) के दिशा-निर्देशानुसार फार्म पौण्ड अंतर्गत जारी निर्देशों में बिन्दू संख्या 9 के अनुसार (छाया प्रति संलग्न) अनुदान की गणना की जाकर विभागीय दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे। अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(आर. डी. सिंह) 18.5.2017

संयुक्त निदेशक कृषि (शष्य)
जल उपयोग प्रकोष्ठ

क्रमांक एफ 8()/आ.कृ./जउप्र/पीएमकेएसवाई/फा.पौ./2017-18/2199-2365 दिनांक : 18.05.2017
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/उद्यान, मु0 जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन/आदान/ विस्तार/आईसोपोम/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्डीय कार्यालय.....।
5. समस्त परियोजना /उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद्.....।
6. परियोजना निदेशक कृषि, सीएडी, कोटा को पूर्व में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न कर लेख है कि उप जिला स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई-मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगे।
7. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
8. ए.सी.पी. कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावे।
9. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार),


संयुक्त निदेशक कृषि (शष्य)
जल उपयोग प्रकोष्ठ



| A(II) | Sub Component: Value addition and Farm development activities | | | |
|-------|---|---|---|-----------|
| 6 | Apiculture (Bee Keeping) | One unit per farm under plantation /Crop/ floriculture based farming system | 50% of input cost limited to Rs. 1000/colony or hive and Rs. 20,000/- per beneficiary. | - |
| 7 | Silage making for increased availability of green fodder round the year | Construction of Silo Pit of 2100-2500 cubic feet with Brick and cement Mortar; either below ground or above ground) with provision of Chaff Cutter and Weighing Balance | 100% assistance for silage making unit consisting of Silo Pit Chaff Cutters and Weighing Balance limited to Rs. 1.25 lakh per farm family | - |
| 8 | Green house & Low Tunnel poly house | High value crops, Vegetables, Flower, raising planting material to avoid water stress etc. | 50% of input cost subject to a limit of: Rs. 500/- per sq.m for Tubular poly house limited to Rs. 10,00,000/- per beneficiary Rs. 270/- per sq.m for wooden structure & naturally ventilated greenhouse limited to Rs. 5,40,000 per beneficiary Rs. 15/- per sq.m for Low Tunnel poly house limited to Rs. 75,000 per beneficiary | - |
| 9 | Water Harvesting and Management | Water harvesting for individuals: Lining of tanks/ponds constructed under | 50% of cost (Construction cost - Rs. 125 for plain/Rs. 150 per cum for hilly areas) limited to Rs. 75000 for plain areas and Rs. 90000 for hilly areas including lining. For smaller size of the ponds/ dugwells, cost admissible on pro rata basis. Cost for non-lined ponds/tanks will be 30% less. The families who are eligible for individual beneficiary oriented works under MGNREGS should preferably be given the labour component through MGNREGS and the material component through NMSA. 50% (cost of plastic/RCC lining limited to Rs. 25,000 | FARM POND |